[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 22/2017- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

नई दिल्ली, तारीख 18 जुलाई, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की ऐसी अधिसूचनाओं को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड(i) में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी साकनि सं. द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	साकनि सं.
(1)	(2)	(3)
1.	29/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1-7-2008	490(अ) तारीख 1-7-2008
2.	30/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1-7-2008	491(अ) तारीख 1-7-2008
3.	10/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी),तारीख 27-2-2010	126(अ) तारीख 27-2-2010
4.	11/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी),तारीख 27-2-2010	127(अ) तारीख 27-2-2010
5.	17/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी),तारीख 13-4-2010	319(अ) तारीख 13-4-2010

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार